करने के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) आर्थिक व्यवहार्यता ;

(2) प्रबन्ध सम्बन्धी योजना;

(3) पर्याप्त आवास की उपलब्धता ;

(4) निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक ;

(5) शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए सुविधाएं।

(ग) खण्ड 5 के अन्तर्गत, उचित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन सहित मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति अधिनियम व नियमों के अनुकूल प्रबन्ध योजना तैयार करती है । तथापि, अल्पसंख्यकों के स्कूलों के लिए सक्षम प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(घ)(1) खण्ड 8 के अन्तर्गत, प्रशासक को भर्ती के लिए योग्यताओं तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है । खण्ड 10 (1) के अन्तर्गत, प्राइवेट स्कूल के किसी कर्मचारी का वेतन, पेंशन इत्यादि सरकारी शिक्षकों से कम नहीं हो सकता है।

(2) खंड 8(2) के अन्तर्गत, निदेशक की पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी को बर्खास्त, हटाया या पद श्रेणी में छोटा नहीं किया जा सकता है । उपखंड (4) के अंतर्गत निलम्बन के लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य है ।

(ङ) खंड 9 के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन प्राइवेट स्कूलों में सभी कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(च) खंड 11(1) के अन्तर्गत, प्रशासक प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों की अधिनियम के अधीन दायर की गयी अपीलों को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(छ) खंड 16 के अंतर्गत, दिल्ली प्रशासन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को नियमित करने के लिए नियमों को बनाने के लिए प्राधिकृत है । नियम 145 मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश विनियमित करता है । इसमें यह जरूरी होता है कि दाखिला प्रवेश परीक्षा पर आधारित हो अथवा किसी विशेष कक्षा या स्कूल के परीक्षा-फल पर आधारित होना चाहिये ।

(ज) खंड 17(3) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व निदेशक के पास स्कूल द्वारा लगाये गये शुल्कों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये और बिना निदेशक के पूर्व अनुमोदन के ऐसा कोई भी स्कूल विवरण में निर्दिष्ट शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता है ।

(झ) खंड 18(3) में अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल एक स्कूल कोष रखे जिसमें सभी आय जमा की जाये और अनुमानतः खर्च इसी कोष से किए जाएंगे । खंड 18(5) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय को निदेशक के समक्ष लेखा-परीक्षित वित्तीय और अन्य विवरणिकाएं जैसा निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ञ) खंड 19(1) में यह अपेक्षित है कि लोक परीक्षा के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को ऐसी परीक्षाएं संचालित करने वाले एक या एक से अधिक बोर्डों के साथ सम्बद्ध होना चाहिये ।

(ट) खंड 20 में यह अपेक्षित है कि जहां स्कूल अधिनियम या नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्य के निष्पादन की उपेक्षा करता है, प्रबंध को 3 वर्षों के लिए अपने अधिकार में लिया जा सकता है जिसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । फिर भी खंड 21 में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक स्कूल को अपने अधिकार में नहीं लिया जा सकता ।